



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
अभियंत्रण अनुभाग
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ



दिनांक 21-01-2020

संख्या 246

/ए-5/190

कार्यालय आदेश

अधीक्षण अभियन्ता पंचम वृत्त, मुरादाबाद द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर आवास आयुक्त (म0) के अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्वारा निम्नानुसार निर्गत की जाती है:-

क्र0सं0	परियोजना आई0डी0नं0	योजना/परियोजना का नाम/ कार्य का नाम	परियोजना की लागत (रु0 लाख में)	लेखा शीर्षक सं0
1-	137028	योजना सं0-2, भाग-2, बदायूँ के फेज-2 के ट्रंक सड़कों के निर्माण का कार्य।	312.23	314/16/2019-20

- 1- कार्य की ई-निविदा का नियमानुसार व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए एवं परिषद की वेब साइट पर लोड करते हुए आमंत्रित की जायेगी।
- 2- सड़कों का निर्माण कार्य परिषद द्वारा कब्जा प्राप्त निर्विवादित भूमि पर कराया जाये।
- 3- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर परिषद द्वारा निर्गत आदेशों के अनुरूप किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उनका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में स्वीकृत बजट के अन्तर्गत ही किया जायेगा।
- 4- परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित मात्राओं, कार्य प्राविधानों एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए मानक व गुणवत्ता को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता का होगा।
- 5- परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विसंवृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से परियोजना की स्वीकृति से पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है तथा इस हेतु किसी अन्य स्रोत से वित्त पोषण नहीं किया जा रहा है।
- 6- खण्ड द्वारा लेबर सेस की धनराशि का भुगतान नियमानुसार सम्बन्धित विभाग को किया जायेगा।
- 7- परियोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- 8- निर्माण लागत में आगे कोई वृद्धि नहीं होगी तथा निर्माण कार्य की गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जायेगी।
- 9- कार्य 12 माह में पूर्ण करा लिया जाये।


(बसन्त लाल) 17/1/2020

वरिष्ठ स्टाफ आफिसर

पू0सं0: 246

/ए-5/190

दिनांक: 21-01-2020

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- आवास आयुक्त (म0) के निजी सचिव।
- 2- मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- 3- वित्त नियंत्रक एवं वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- 4- अधीक्षण अभियन्ता (प्र0)/अधीक्षण अभियन्ता, पंचम वृत्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ/मुरादाबाद।
- 5- अधिशासी अभियन्ता (मानी0)/निर्माण खण्ड-23, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ/बरेली।
- 6- मूल्यांकन /सम्परीक्षण अधिकारी, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- 7- गार्ड फाईल।


वरिष्ठ स्टाफ आफिसर 17/1/2020